~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~
उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान पीठासीन
अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य~~
कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...21.9.122...
को पेश हो।
रीडर

21/9/22 वकील डिक्रीदार उप० । वास्ते बहस पत्रा० दि०
14/10/22 को पेश हो।

14-10-2022 पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी/प्रतिवादी/~~
~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~
उपस्थित है/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन
अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर है/अन्य~~
~~कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...31-10-2022
को पेश हो।
रीडर

31-10-22 वकील डिक्रिदार उप-। वास्ते बहस
पत्रावली दि० 9-11-22 को पेश हो।

9-11-22 वकील डिक्रीदार उप०। वास्ते बहस
पत्रावली दि० 16-11-22 को पेश हो।

16-11-2022 वकील डिक्रीदार उप०। वास्ते बहस पत्रावली
दि० 24-11-2022 को पेश हो।

24-11-2022 वकील डिक्रीदार उप०। बहस सुनी गई। वास्ते
निर्णय पत्रावली दि० 26-12-2022 को पेश हो।

26/12/22 वकील डिक्रीदार उप०। ... द्वारा प्रस्तुत
... पत्रावली ... की जाती है।
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील
दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:28:52 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
8/2021	23.7.2021	26.12.2022

1. हरीलाल पुत्र स्व0 सांवलिया
2. श्रीमोहन पुत्र स्व0 सांवलिया
3. बत्तू पुत्र स्व0 सांवलिया
4. किरन पत्नी स्व0 जगदीश

जाति जाटव (चमार)
निवासी सालोदा
तहसील गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

1. रीको जरिए क्षेत्रीय प्रबन्धक, खेरदा सवाई माधोपुर
2. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर ——अप्रार्थीगण

अवार्ड के निष्पादन के लिए आवेदन पत्र

उपस्थित :— श्री अरविन्द अग्रवाल, एडवोकेट , प्रार्थी की ओर से
श्री परमानन्द शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी इजराय प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण हरीलाल वगैरा, जाटव निवासी सालोदा की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 84, 85 व निर्माण को जरिए आदेश दिनांक 26.11.1996 रीको के लिए अवाप्त की थी। उक्त अवाप्ति आदेश के विरूद्ध माननीय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी में एक रेफरेन्स मुत0 दीवानी संख्या 58/97 बीरवल ने प्रस्तुत किया। जिस पर माननीय अदालत द्वारा रेफरेन्स दिनांक 26.11.96 को स्वीकार करते हुए पारित किए गए अवार्ड में संशोधन किया कि "प्रार्थीगण ने ए0 आई0 आर0 1991 एससी 1966 की नजीर पेश कर बताया कि मूल अवार्ड अधिक व्यक्तियों का है जबकि रेफरेन्स कम व्यक्तियों ने किया है ऐसी स्थिति में यदि मूल अवार्ड में संशोधन किया जाता है उसका फायदा उन व्यक्तियों को भी प्राप्त होगा जिन व्यक्तियों ने रेफरेन्स नहीं किया है। नजीर का अवलोकन किया हम इस बिन्दु पर पूर्णतः सहमत हैं तथा इस रेफरेन्स का फायदा सभी को प्राप्त होगा।" अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण की जमीन ख0नं0 84 में स्थित गैरमुमकिन चाह की एक एयर जमीन की कीमत 4820/–रू0 नहीं दिया तथा प्रार्थीगण को बारानी किस्म की भूमि की दर 4400/–रूपए प्रति एयर की दर से भुगतान किया है जबकि चाही दर मुताबिक रेफरेन्स 4820/–रूपए प्रति एयर जमीन की कीमत से भुगतान करना था। इस प्रकार 420/– प्रति एयर की अन्तर राशि प्रार्थीगण की ख0नं0 85 रकबा 0.39 है0 में से 1/2 भूमि का पैसा 8190/–रू0 अदा नहीं किया। इसी प्रकार जे0ईएन0 रिपोर्ट में दर्ज दासाबन्दी का पैसा 18263/–रू0 व 17060/– रू0 कुल 35323/–रू0 में हिस्सा 1/2 यानि

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:28:52 IST
Reason: Self Attested

कलेक्टर
(स०मा०)

17661/–रू0 का भुगतान नहीं किया है। इस प्रकार 30671/–रू0 का भुगतान बकाया है जिस पर 30 प्रतिशत सोलेशियम राशि 9201/–रू0 व धारा 23(1ए) के तहत 3 वर्ष की राशि 12 प्रतिशत की दर से 11041/–रू0 का भुगतान नहीं किया है । कुल राशि 50913/–रू0 होती है जिस पर मुताबिक रेफरेन्स ताभुगतान तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज राशि दिनांक 26.11.1996 से 15.7.2021 तक 150993/–रू0 कुल 201106/–रू0 अप्रार्थी पर वाजिब बकाया है और प्रार्थिया उक्त राशि पर तावसूली 12 प्रतिशत साला ब्याज अतिरिक्त प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि इजराय प्रार्थना पत्र मुताबिक अवार्ड स्वीकार फरमाया जाकर 201106/–रू0 मय ता अदायगी 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के प्रार्थीगण को भुगतान दिलाया जावे।

इजराय प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण ने प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश भूमि अवाप्ति अधिकारी (उप जिलाकलेक्टर) गंगापुर सिटी दि0 26.11.1996, प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 27.11.1998 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, गंगापुर सिटी प्रस्तुत किए हैं।

इस प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि मुत0दीवानी सं0 58/97 रेफरेन्स बीरबल द्वारा प्रस्तुत करना बताया गया है वह ख0नं0 82, 83, 88 के सन्दर्भ में प्रस्तुत हुआ है जो अपर जिला जजी गंगापुर सिटी द्वारा दि0 27.11.1998 को निर्णित हुआ है। ख0नं0 84, 85 के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का रेफरेन्स डिक्रीदार हरीलाल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अवाप्तशुदा भूमि ख0नं0 84 व 85 का मुआवजा का भुगतान मिन जबाबदार द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिलाकलेक्टर गंगापुर सिटी को दिनांक 29.1.1997 को प्रेषित किया जा चुका है जो खातेदारान द्वारा प्राप्त कर लिया है। अवाप्ति के सन्दर्भ में किसी प्रकार का मुआवजा बकाया नहीं है। वर्णित बकाया मुआवजे का विवरण पूर्णतः गलत है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र इजराय सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने इजराय प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थीगण की बकाया राशि का भुगतान अप्रार्थी संख्या 1 से दिलाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान वकील ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण ने यह इजराय प्रार्थना पत्र गलत प्रस्तुत किया है क्योंकि न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:28:58 IST
Reason: SelfAttested

...ला कलेक्टर
...सिटी (स०मा०)

अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी के आदेश दिनांक 27.11.1998 के अनुसार रेफरेन्स भूमि ख0नं0 82, 83, 88 के सम्बन्ध में बीरबल वगैरा द्वारा प्रस्तुत किया गया था जबकि प्रार्थीगण ख0नं0 84, 85 के लिए प्रस्तुत इजराय के माध्यम से राशि की मांग कर रहे है। इसलिए इजराय प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 26.11.1996 न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उप जिलाकलेक्टर) गंगापुर सिटी के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 85, 84 में भूमि अवाप्त की गई थी । इन नम्बरो में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज था । निर्णय दिनांक 27.11.1998 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, गंगापुर सिटी के अवलोकन से विदित है कि इस आदेश में रेफरेन्स भूमि ख0नं0 82, 83, 88 के लिए किया गया था जिसमें न्यायालय द्वारा बीरबल वगैरा को संशोधित राशि देने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि ख0नं0 85, 84 के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने ना तो कोई रेफरेन्स किया है और ना ही न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, गंगापुर सिटी ने ख0नं0 84, 85 के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित किया है। फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह इजराय प्रार्थना पत्र आधारहीन है एवं अस्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण हरीलाल वगैरा जाति जाटव निवासी सालोदा तहसील गंगापुर सिटी द्वारा प्रस्तुत यह इजराय प्रार्थना पत्र आधारहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:28:52 IST
Reason: SelfAttested